राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3725/2025

चन्द्रशेखर स्वर्णकार

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पेच की बावडी, हिण्डोली, जिला बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 18.07.2016 (अनुलग्नक–2) द्वारा वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरुद्ध व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर पदोन्नति की गई, परन्तु अपीलार्थी के दो से अधिक संतान होने के आधार पर अपीलार्थी को पूर्व में सेवा नियमों के अनुसार उक्त पदोन्नति प्रदान नहीं की गई तथा आदेश दिनांक 23.06.2019 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को सेवा नियमों के अनुसार 3 वर्ष पश्चात् वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने दिनांक 16.03.2023 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए समस्त सेवा नियमों में संशोधन किया तथा परिपत्र दिनांक 24.05.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा यह निर्देश जारी किये गये कि 2019–20 तक उन कार्मिकों की पदोन्नति भी रिव्यू डीपीसी आयोजित की जायेगी, जिस दिनांक को पदोन्नति ड्यू हो गई थी और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता, पुनः नियत किया जायेगा। किन्तु कोई बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा। अपीलार्थी ने उक्त परिपत्रों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 19.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा

अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की तथा अपीलार्थी के वेतन का फिक्सेशन आज तक नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा तीसरी संतान के संबंध में दिनांक 16.03.2023 को नोटिफिकेशन के द्वारा समस्त सेवा नियमों में संशोधन करने के बावजूद तथा परिपत्र दिनांक 24.05.2023 जारी होने के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर ना तो पदोन्नति प्रदान की है और ना हीं अपीलार्थी का फिक्सेशन किया गया है।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.07.2016 के अनुसार वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर पदोन्नत किया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2016 से उक्तानुसार फिक्सेशन कर समस्त एरियर मय ब्याज दिलाया जावें।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य